S. No. 3

रजिस्ट्री सं. डी० एल०- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1379] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2010/आषाढ़ 17, 1932
No. 1379] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2010/ASADHA 17, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2010

का.आ. 1632(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, कि धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के कि.मी. 58.245 से कि.मी. 177.050 तक ब्यावर–गोमती खंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है) के विकास के लिए मै. आईटीएनएल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय दि आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुरला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051, भारत (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) में स्थित है, के साथ एक करार किया है।

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर आधार दर से शुल्क लगाया जाएगा और संग्रहीत किया जाएगा तथा रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन तारीख तक, वास्तविक शुल्क के संग्रहण और प्रतिधारण के लिए प्राधिकृत करती है :-

तालिका

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	प्रति वाहन प्रति एक तरफ यात्रा के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)	
(1)	(2)	(3)	
1.	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर यान	0.39	0.39
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	0.63	0.63
3.	बस अथवा ट्रक	1.32	1.32
4.	भारी निर्माण मशीनरी अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर और बहुधुरा यान (तीन से छह धुरे)	2.07	2.07
5.	अति आकार के यान (सात या अधिक धुरे)	2.52	2.52

(1)

टिप्पणियां :-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(i) "वास्तविक फीस" से अभिप्राय निम्न आधार पर उक्त खंड के सड़क प्रयोक्ताओं से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क से है :

(क) प्रत्येक शुल्क प्लाजा को समनुदेशित की गई राजमार्ग परियोजना की लंबाई;

(ख) उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रूप से दर्शाई गई आधार फीस दर को निकटतम पांच रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा;

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" का अभिप्राय वह तारीख है जिसको उक्त खंड के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के अनुसार सभी पूर्व शर्तें संतोषजनक ढंग से पूरी करने के बाद उक्त खंड का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होगा;

(iii) "समापन की तारीख" का अभिप्राय वह तारीख है जिसको उस करार के उपबंधों के अनुसरण में उक्त करार समाप्त हो जाता है अथवा समापन सूचना द्वारा समाप्त कर दिया जाता है;

(iv) उन शब्दों और पदों के लिए जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु जो उपरोक्त करार में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस करार में क्रमशः उनके हैं।

2. प्रत्येक टोल प्लाजा के सामने बताई गई दूरी के लिए टोल प्लाजाओं के निम्नलिखित स्थानों पर फीस संग्रहीत की जाएगी :-

क्रम सं	टोल प्लाजा की स्थिति	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है
(1)	(2)	(3)
1.	रा.रा.-8 का कि.मी. 84-85	50
2.	रा.रा.-8 का कि.मी. 136-137	66

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एनएच-37016/1/2009-एनएचडीपी-IV(ए)]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2010

S.O. 1632(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government (hereinafter referred to as the Authority) has entered into an agreement with M/s. ITNL Road Infrastructure Development Company Limited, having its registered office at The IL & FS Financial Centre, Plot C-22, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051, India (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development of the Beawar-Gomti section from km 58.245 to km 177.050 of the National Highway No. 8 in the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the said section) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the said Act, read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rate, on the mechanical vehicles, specified in the following Table, for the use of the said section and authorises the Concessionaire to collect and retain the actual fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date :—

TABLE

Sl No	Category of Vehicle	Base rate of fee per km per vehicle per one way trip (in Rupees)	
(1)	(2)	(3)	
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.39	0.39
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	0.63	0.63
3.	Bus or Truck	1.32	1.32
4.	Heavy Construction Machinery or Earth Moving Equipment or Multi Axle vehicle (Three to six axles)	2.07	2.07
5.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	2.52	2.52

Notes :

1. For the purposes of this notification,

(i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of

(a) length of the project highway assigned to each fee plaza;

(b) base fee rates provided in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to nearest five rupees.

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after satisfying all conditions precedent in accordance with the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section;

(iii) "termination date" means the date on which the said agreement expires pursuant to the provisions of that agreement or is terminated by termination notice;

(iv) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the aforesaid agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. The fee shall be collected at the following location of toll plazas for the distance specified against each toll plaza :—

Sl. No.	Location of toll plaza	Length (in kilometers) for which fee is payable
(1)	(2)	(3)
1.	km 84—85 of NH 8	50
2.	km 136—137 of NH 8	66

[F. No. RW/NH-37016/1/2009-NHDP-IVA]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi